

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 13.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद Shri Vinayak Bhaurao Raut के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 269 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	RUDRIKA SANDEEP KAUL	SH. SANDEEP KAUL MOB- 7000523772	6	ONGC PANVEL
2	ANURAJ SACHIN KACHARE	SH. SACHIN RAMESH KACHARE MOB- 9987856385, 8888741111	1	ONGC PANVEL
3	PRACHI DATTATRAY WAKSHE	SH. DATTATRAY WAKSHE MOB- 9892000512	5	ONGC PANVEL
4	SWARA SANKET SHETYE	SH. SANKET SHETYE MOB- 9892449946, 7972882998	1	ONGC PANVEL
5	AMBIKA PRASANT WABLE	SH. PRASHANT GULABRAO WABLE MOB- 8888077700, 9922935711, 8928318727	1	CRPF CAMP Pune
6	AADYA GOPAL NARKHEDE	SH. GOPAL MUKUND NARKHEDE MOB-	1	NO.1 DEHUROAD Pune
7	ARYA SUNIL YEWALE	SH. SUNIL MANOHAR YEWALE MOB- 8169964338	1	NO.1 DEHUROAD Pune
8	CHILD NAME NOT RECOMMENDED BY HON'BLE MP			
9	CHILD NAME NOT RECOMMENDED BY HON'BLE MP			
10	CHILD NAME NOT RECOMMENDED BY HON'BLE MP			

पया 8/8/20

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)
13/8/20

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Vinayak Bhaurao Raut माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, MUMBAI संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)